

39/2024 - यशदेवी / अतीदेवी


आदेश

28.06.22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी ने निवेदन किया कि वकील वादीनी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं। लिहाजा प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीनी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वकील वादीनी प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं। लिहाजा प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः वकील वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर